fogxkoykdu

यह प्रतिवेदन संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा मंत्रालय के अन्तर्गत विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अनुपालन लेखापरीक्षा में दृष्टिगोचर हुए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को शामिल करता है। इसमें पांच अध्याय हैं। अध्याय-I में लेखा परीक्षित इकाई की रूपरेखा, खर्चे का विश्लेषण, विभागों के वित्तीय निष्पादन तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही सन्निहित है। अध्याय-II से अध्याय-V, क्रमशः संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन दूरसंचार विभाग, डाक विभाग, इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अनुपालन लेखापरीक्षा में उद्भूत निष्कर्षों/पर्यवेक्षणों से सम्बन्धित है।

इस प्रतिवेदन में शामिल महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से कुछ नीचे दिये गये हैं:

v/;k; - II nj lpkj foHkkx (n fo)

vokLrfod@nkgjs nkoks ij lfClMh dk Hkxrku

नियंत्रक संचार लेखा (नि सं ले) राजस्थान दूरसंचार परिमण्डल ने वर्ष 2008-2010 की अवधि में मैसर्स टाटा टेलि सर्विसेज़ लिमिटेड (टी टी एस एल) के द्वारा प्रस्तुत किये गये दावों के आधार पर ₹ 71.49 करोड़ के फ्रंट लोडेड सब्सिडी की सब्सिडी वितरण के पूर्व ग्राहक आवेदन पत्रों (सी ए एफ) की सत्यता जांच किये बिना, अनुमति दे दी। आगे, ओडिशा और केरल परिमण्डलों के नि सं ले ने दोहरे दावों पर ₹ 0.82 करोड़ की सब्सिडी का भुगतान बी एस एन एल और रिलायंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड को किया।

i`jkxkQ **2.1**

eSllZ LVjykbV iks|kfxdh fyfeVsM ¼,l Vh ,y½ d }kjk vuf/kd`r nwjlapkj lsok

एस टी एल एक अवसंरचना प्रदाता श्रेणी-I (अ प्र-I) पंजीकृत कम्पनी, जो कि केवल दूरसंचार सेवा प्रदाता के लाइसेंस धारकों की अवसंरचना समर्थन के लिये प्राधिकृत थी, अ प्र-I पंजीकरण के कार्यक्षेत्र के बाहर कार्य कर रही थी। यद्यपि, टर्म सैल, पुणे द्वारा डी ओ टी के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया, एक वर्ष के बाद भी कम्पनी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

i`jkxkQ **2.3**

v/;k; - III Mkd foHkkx (Mkd fo)

Mkd thou chek (ih ,y vkbi) ,o xkeh.k Mkd thou chek (vkj ih ,y vkbi) dh fuf/k d fuos'k dk icU/ku

पी एल आई एवं आर पी एल आई निधि प्रबन्धन, कमियों जैसे रोज के शुद्व वृद्वि के आधार पर और मासिक निवेश योग्य निधि के आधार पर भी, निवेश योग्य निधि के गलत निर्धारण से कुप्रभावित रही। निवेश में देरी, ₹ 984 करोड़ की सम्भावित आय की हानि में परिणामित हुई। भारत सरकार के स्पेशल सेक्युरिटी फ्लोटिंग रेट बांड (जी ओ आई एस एस एफ आर बी) से आय के पुनर्विनिवेश में देरी, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (निवेश) के पालन न करने और सेन्वैट क्रेडिट के उपयोग न करने के उदाहरण संज्ञान में आये।

ijkxkQ **3.1**

Mkd foHkkx e Hkfe d [kkyh IykVk dk icU/ku

विभाग ने भूमि प्लाटों को प्राप्त करने/खरीदने के पहले वास्तविक आवश्यकता का आंकलन नहीं किया। दिसम्बर 2015 को इसके पास ₹ 209.55 करोड़ मूल्य के 6.77 लाख वर्गमीटर के 472 खाली फ्रीहोल्ड प्लाट थे। डाक भवन/कर्मचारी क्वार्टर्स बनाने के लिए 1978 से पूर्व अधिगृहीत किये गये 4.08 लाख वर्गमीटर के 100 प्लाट अभी तक खाली थे तथा 2014 तक ₹ 3.37 करोड़ पट्टा किराये के मद में भुगतान किया गया। ₹ 13.94 करोड़ मूल्य के 3.24 लाख वर्गमीटर के 241 प्लाट अतिक्रमित थे। यथोचित सावधानी वाले कदम उठाने में विभाग की विफलता से न केवल अतिक्रमण में परिणामित हुआ बल्कि इससे अनावश्यक मुकदमा भी हुआ, जिसे टाला जा सकता था।

ijkxkQ **3.2**

vLohd`r pdk (fMl vkuMZ pd) dh jkf'k dh xj-olwyh

आंध्र प्रदेश, बिहार तथा झारखण्ड डाक परिमण्डलों में मुख्य डाकघरों एवं मण्डलीय कार्यालयों में प्रभावी कार्यवाही के अभाव में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (एम जी एन आर ई जी एस) के अन्तर्गत वेतन के भुगतान के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त ₹ 11.62 करोड़ के 1,364 अस्वीकृत चेकों की गैर–वसूली में परिणामित हुई।

ijkxkQ **3.4**

v/;k; - IV bylDVkfud o lpuk ik?kfxdh foHkkx (Mh b vkb Vh okb)

LV.MjMkbt'ku VfLVx ,o DokfyVh lfVfQdV MkbjDVjV (,l Vh D;w lh) }kjk Hkou fuekZ.k ifj;kstuk d fy, vui;Dr ,tsUlh dk p;u

एस टी क्यू सी ने उनकी टेक्नो कामर्शियल सक्षमता को परखे बिना भवन निर्माण का कार्य साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्कस आफ इंण्डिया (एस टी पी आई) को देने का निर्णय लिया। एस टी पी आई के पास कोई सिविल इंजीनियरिंग विंग नहीं थी और अपने ठेकेदार एवं वास्तुकार को ठीक से सम्भाल न सके और कार्य को पूरा किये बिना ही छोड़ दिया। इससे जून 2016 की स्थिति के अनुसार एस टी क्यू सी को भूमि आवंटन के 14 वर्ष के उपरान्त भी निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ। इसका यह भी परिणाम हुआ कि परियोजना पर ₹ 9.33 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ एवं एस टी पी आई के पास ₹ 3.47 करोड़ का अवरोधन हुआ।

ijkxkQ **4.1**

u'kuy bLVhV;V vkQ LekVZ xouZeUV, gnjkckn ls b&Hkkjr ikjtDV d fy, vi;Dr vunku vkj mlij C;kt dh xj&olyh

डी ई आई टी वाई ने नेशलन इंस्टीटयूट आफ स्मार्ट गवर्नमेंन्ट (एन आई एस जी) को ई–भारत परियोजना तैयारी सुविधा के क्रियान्वयन के लिए ₹ 10.50 करोड़ का अग्रिम दिया। एन आई एस जी के परियोजना को क्रियान्वित करने में असफल रहने पर डी ई आई टी वाई ने विश्व बैंक से साहयता प्राप्त एक अन्य परियोजना “इंण्डिया ई–डिलीवरी आफ पब्लिक सर्विसेस” जो कि पुनः एन आई एस जी द्वारा क्रियान्वित की जानी थी, के लिए ₹ 3.36 करोड़ की राशि विपथित की और अप्रयुक्त अनुदान की ₹ 0.78 करोड़ की राशि एन आई एस जी के पास छोडते हुए ₹ 6.36 करोड़ एन आई एस जी द्वारा डी ई आई टी वाई को वापस किये गये। डी ई आई टी द्वारा अप्रयुक्त अनुदान पर दिनांक 31 जनवरी 2016 तक ₹ 7.77 करोड़ ब्याज की राशि भी एन आई एस जी से वसूल नहीं की गयी।

ijkxkQ **4.2**

ikLV xtq,V bLVhV;V vkQ efMdy ,tqd'ku ,o fjlp (ih th vkb ,e b vkj) p.Mhx<+ d dEI;Vjhdj.k d fy, vfoodh ckyh vkj lfonk

सी-डैक नोयडा के अविवेकी बोली और संविदा के कारण “पी जी आई एम ई आर चण्डीगढ़ के कम्प्यूटरीकरण” परियोजना के विभिन्न स्तरों पर क्रियान्वयन में देरी हुई जिसके लिए पी जी आई एम ई आर ने ₹ 4.28 करोड़ का भुगतान रोका। इसके अलावा सी–डैक नोयडा ने कार्य की मात्रा के समुचित आंकलन के बिना इलेक्ट्रिक केबिलिंग कार्य हेतु बोली में ₹ 24.20 लाख की एक मुश्त राशि उदघृत की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.18 करोड़ के कुल किये गये कार्य के विरूद्व पी जी आई एम ई आर ने ₹ 24.20 लाख के दावे स्वीकार किये जिससे ₹ 2.94 करोड़ की निधि का अवरोधन हुआ।

ijkxkQ **4.3**

lkbcj vihyh; U;k;kf/kdj.k }kjk idj.kk dh luokbl ,o fuLrkj.k d ikFkfed dk;l dk u djuk

जुलाई 2011 से साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति न होना साथ ही न्यायाधिकरण के सदस्यों को बेंच के गठन और अपीलों के निस्तारण हेतु शक्ति प्रदान करने के प्रावधानों की कमी के कारण इसके गठन का मूल उद्देश्य असफल हुआ जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2011 से मार्च 2016 की अवधि के लिए जिसमें मार्च 2016 तक की अपील के 66 मामले लम्बित होने के बावजूद एक भी प्रकरण की सुनवाई या निस्तारण नही हुआ, वेतन एवं अन्य स्थापना पर ₹ 27.64 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

ijkxkQ **4.5**

v/;k; -V e=ky; d vUrxr lkoltfud {k= d miØe

elll Hkkjr lpkj fuxe fyfeVM (ch ,l ,u ,y) }kjk uVod midj.kk dh vfoodi.k [kjhn

डिजिटल क्रास कनेक्ट सिस्टम उपकरणों की खरीद में बी एस एन एल की अविवेकपूर्ण कार्यवाही के फलस्वरूप इंटरफेस कार्ड निष्क्रिय हुए और दो परियोजना परिमण्डलों में ₹ 22.80 करोड़ की पूंजी अवरूद्व हुई।

ijkxkQ **5.1**

'kkV elt lfol (,l ,e ,l) Vfeu'ku iHkkj dh xj&fcfyx

बी एस एन एल ने एस एम एस टर्मिनेशन चार्जेज की बिलिंग के लिए बिना तकनीकी व्यवस्था के तीन दूर संचार सेवा प्रदाताओं यथा भारती एअरटेल, आइडिया सेलुलर एवं वोडाफोन के साथ एस एम एस के आई यू सी के लिए “एडेण्डा टु इंन्टरकनेक्ट एग्रीमेंट” पर हस्ताक्षर किये। एस एम एस डाटा को संरक्षित, सत्यापन एवं भारती एअरटेल तथा वोडाफोन से प्राप्त बिलों (दावों) के मिलान न करने के कारण, बी एस एन एल एकतरफा दायित्व के लिए सामने आ गयी।

ijkxkQ **5.2**

eYVh ikVkdky yoy fLofpx (,e ih ,y ,l) fyd d fcfyx e njh

दक्षिणी दूरसंचार क्षेत्र (एस टी आर), बी एस एन एल ने एम एच आर डी को, एम पी एल एस से नेशनल नालेज नेटवर्क (एन के एन) प्वाइंट आफ प्रजेंस (पी ओ पी) तक प्रदान किये गये 1जी बी पी एस ई लिंक का बिल जारी नहीं किया। इसके कारण ₹ 6.07 करोड़ के बकाये का संचयन हुआ।

ijkxkQ **5.3**